परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

संख्या–6195एलएएस/2010 दिनांक : दिसम्बर :3| 2010

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।
2–समस्त स0क्षे0प्र0(का0)/सहायक विधि अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–दुर्घटना अस्वीकार होने पर भी न्यायालयों द्वारा परिवहन निगम के विरूद्व एवार्ड पारित होने के सम्बन्ध में ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन मोटर दुर्घटना वादों में निगम द्वारा अपने लिखित कथन में दुर्घटना अस्वीकार की जा रही है, उन वादों में भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा वादी गणों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर दुर्घटना का दायित्व निगम बस चालक पर डालते हुए परिवहन निगम के विरूद्व प्रतिकर के भुगतान के आदेश पारित किये जाते हैं, यह कार्यवाही कुछ ऐसे प्रकरणों में भी हो रही है, जिनमें वादी गणों की ओर से एफ0आई0आर0 काफी समय उपरान्त लिखायी जा रही है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि विभाग की ओर से लिखित कथन दाखिल करते समय निम्न कार्यवाही की जायः–

1– दुर्घटना के दिनांक के अगले दिन के स्थानीय समाचार पत्रों में यदि दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई समाचार प्रकाशित हुआ हो तो उस कटिंग का उल्लेख लिखित कथन में करते हुए कटिंग भी न्यायालय में दाखिल की जाय।

2– क्षेत्रों में प्रतिदिन स्थानीय समाचार पत्रों में दुर्घटना सम्बन्धी समाचारों की कटिंग सुरक्षित रखी जाय ताकि वाद योजित होने पर उस प्रकरण में विपरीत तथ्य होने की दशा में न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित समाचार पत्र की कटिंग दाखिल करते हुए वाद में परिवहन निगम को दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध न्यायालय से किया जाय।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com